मध्यप्रदेश शासन

औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन विभाग

:: आदेश ::

भोपाल दिनांक 05 /10 /2023

क्र. एफ IPI/5/0010/2023/ए-ग्यारह:: राज्य शासन एतद् द्वारा निर्णय लिया गया कि मेसर्स अल्ट्राटेक सीमेंट लि. (मैहर सीमेंट वर्क्स) द्वारा सरला नगर, तहसील मैहर, जिला सतना में रू. 2,787.34 करोड़ के पूंजी निवेश से विद्यमान सीमेंट एवं क्लिंकर निर्माण के विस्तार संबंधी प्रस्ताव (DIPIP2301140001) पर निम्नानुसार सुविधायें दी जायें -

1. **निवेश प्रोत्साहन सहायता** - उद्योग सवंर्धन नीति 2014 (यथा संशोधित) में प्रावधानित निवेश प्रोत्साहन सहायता परियोजना अंतर्गत यंत्र-संयंत्र तथा भवन में किये गये निवेश पर 20 प्रतिशत की स्थिर दर से, अधिकतम रू. 400 करोड़ की सीमा तक, शर्तों के अध्याधीन प्रदान की जाये।

2. **विद्युत टैरिफ में रियायत-** परियोजना अंतर्गत नवीन विद्युत कनेक्शन/स्थापित विद्युत कनेक्शन पर लिये गये अतिरिक्त विद्युत भार पर वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने के दिनांक से 5 वर्षों हेतु प्रचलित विद्युत दर पर रू. 1/- प्रति यूनिट की दर से छूट प्रदान की जाये। यह स्पष्ट किया जाता है कि यह छूट विद्युत नियामक आयोग द्वारा विद्युत टैरिफ पर दी जा रही छूट, यदि कोई हो तो, के अतिरिक्त होगी। उक्त छूट की प्रतिपूर्ति एमपीआईडीसी द्वारा संबंधित इकाई को की जाये।

3. **विद्युत शुल्क से छूट-** परियोजना अंतर्गत नवीन विद्युत कनेक्शन/स्थापित विद्युत कनेक्शन पर लिये गये अतिरिक्त विद्युत भार पर एवं वेस्ट हीट रिकवरी सिस्टम द्वारा उत्पादित विद्युत पर वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने के दिनांक से 7 वर्षो हेतु देय विद्युत शुल्क से छूट प्रदान की जाये।

4. परियोजना को स्वीकृत सुविधाओं का लाभ इस शर्त पर प्राप्त होगा कि परियोजना में इस परिप्रेक्ष्य में आदेश जारी होने की दिनांक से प्रतिबद्ध निवेश के साथ 3 वर्ष में वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ कर लिया जाये।

5. इकाई द्वारा वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने के उपरांत एमपीआईडीसी में आवेदन प्रस्तुत करने पर स्वीकृत सुविधाओं का लाभ प्राप्त होगा।

6. परियोजना को उद्योग सवंर्धन नीति, 2014 (यथा संशोधित) अन्तर्गत प्रावधानित अन्य सुविधाओं का लाभ विहित शर्तों के अध्याधीन प्राप्त होगा।

7. कम्पनी की शेष अन्य मांगों को अमान्य किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(संजय कुमार शुक्ल)
प्रमुख सचिव
मध्यप्रदेश शासन
औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन विभाग

निरंतर ....

पृ. क्र. IPI/5/0010/2023/ए-ग्यारह भोपाल, दिनांक 05/10/2023

प्रतिलिपि:-

1. उप सचिव, मध्यप्रदेश शासन, मुख्य सचिव कार्यालय, मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल।
2. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग/नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा विभाग/खनिज साधन विभाग/वाणिज्यिक कर विभाग/ऊर्जा विभाग, मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल।
3. आयुक्त, रीवा संभाग रीवा।
4. कलेक्टर, जिला- सतना।
5. प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश इण्डस्ट्रीयल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लि. भोपाल।
6. आथोराइज्ड सिग्नेटरी, मेसर्स अल्ट्राटेक सीमेंट लि. (मैहर सीमेंट वर्क्स), अहूरा सेन्टर, 'बी' विंग, द्वितीय तल, महाकाली केव्स रोड़, अंधेरी (इस्ट), मुंबई, पिन- 400093.

- की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

प्रमुख सचिव
मध्यप्रदेश शासन
औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन विभाग